

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू  
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 04/2025

दायर दिनांक-07.01.2025

1. मनभरी देवी पुत्री भोला पत्नी मघाराम
2. मैना देवी पुत्री भोला पत्नी ओमप्रकाश
3. मुन्नी देवी पुत्री भोला पत्नी कैलाश समस्त जाति चेजारा निवासी रामपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

- वादीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र भोला जाति चेजारा निवासी रामपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री सुरेश कुमार शर्मा  
वकील प्रतिवादी :- श्री राकेश कुमार सारस्वत

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन  
व स्थाई निषेधाज्ञा।

--: निर्णय :-

दिनांक : 17.06.2025

वाद वादी दिनांक 07.02.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: भू0 अ0/2025/8100 दिनांक 05.06.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 474, 101 रकबा क्रमशः 1.82, 1.90 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

| क्र. स. | घोषित खातेदार का नाम                                  | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म    |
|---------|---|------------|------|----------|
| 1       | रामकरण पुत्र भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार       | 474/1      | 0.91 | बारानी 2 |
| 2       | मुन्नी देवी पुत्री भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार | 474/2      | 0.91 | बारानी 2 |
| 3       | मनभरी देवी पुत्री भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार  | 101/1      | 0.95 | बारानी 2 |
| 4       | मैना देवी पुत्री भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार   | 101/2      | 0.95 | बारानी 2 |

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्व लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )  
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) नवलगढ जिला शुन्धुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फारस्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)  
मुकदमा नम्बर 04 / 2025

दावा : घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।  
( मनभरी देवी बनाम रामकरण आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फारस्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.06.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 474, 101 रकबा क्रमशः 1.82, 1.90 है 0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

| क्र. स. | घोषित खातेदार का नाम                                  | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म                      |
|---------|---|------------|------|----------------------------|
| 1       | रामकरण पुत्र भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार       | 474/1      | 0.91 | बारानी 2                   |
| 2       | मुन्नी देवी पुत्री भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार | 474/2      | 0.91 | बारानी 2                   |
| 3       | मनभरी देवी पुत्री भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार  | 101/1      | 0.95 | बारानी 2                   |
| 4       | मैना देवी पुत्री भोला जाति चेजारा साकिन देह खातेदार   | 101/2      | 0.95 | बा 0 3 0.29<br>बा 0 2 0.66 |

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.06.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फारस्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू